संख्या : 16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनाँक : 01 सितम्बर, 2018**

विषय : वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिये अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांगों से सम्बन्धित विधान मण्डल द्वारा पारित विनियोग विधेयक श्री राज्यपाल की स्वीकृति के उपरान्त दिनाँक 01 सितम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-2019 का अनुपूरक) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या - 30 सन् 2018) के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है ।

2- अतः वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिये अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनाँक 30 मार्च, 2018 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018, दिनाँक 24 अप्रैल, 2018 के क्रम में निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें -

(1) अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेंगी ।

(2) वित्तीय वर्ष 2018-2019 की शेष अवधि में योजनाओं / परियोजनाओं पर दिनाँक 31 मार्च, 2019 तक व्यय / वास्तविक उपयोग की सीमा तक ही आवश्यक धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जायें ।

(3) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-7/2018/ए-1-08ए.जी./दस-2018-10 (50)/2011, दिनाँक 14 मार्च, 2018 द्वारा राज्य की संचित निधि से धनराशि आहरित कर पी.एल.ए. में रखे जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है । तद्नुसार निदेशित किया जाता है कि प्रशासकीय विभाग वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को आहरित कर पी.एल.ए. खातों में जमा किये जाने का प्रस्ताव नहीं करेंगे ।

(4) परियोजनाओं पर व्यय हेतु कार्यदायी संस्थाओं को उतनी ही धनराशि स्वीकृत की जाये, जितनी दिनाँक 31 मार्च, 2019 तक परियोजनाओं पर व्यय होने की सम्भावना हो ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर-2(11)(ग), प्रस्तर-2(11)(घ) एवं प्रस्तर-2(11)(च) के अनुसार अवमुक्त धनराशि, प्रस्तर-2(11)(छ) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दो-दो माह की आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरित कर, कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाये । निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि सम्बन्धी स्वीकृति आदेश में प्रस्तर-2(11)(छ) में आहरण हेतु उल्लिखित व्यवस्था का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाये ।

(5) केन्द्र पोषित योजनाओं के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 30 मार्च, 2018 तथा कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 24 अप्रैल, 2018 में दी गयी व्यवस्थानुसार वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जायें ।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-3-3412/दस-2002-100 (39)/88, दिनाँक 24 अक्टूबर, 2002 में अनुदान संख्या-83 हेतु पुनर्विनियोग की व्यवस्था निर्धारित की गयी है । बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/20-ब.प्र.-2015, दिनाँक 27 मार्च, 2015 के द्वारा अनुदान संख्या-83 से सम्बन्धित समस्त वित्तीय स्वीकृतियाँ अब प्रशासकीय विभागों द्वारा यथावश्यकतानुसार वित्त विभाग की सहमति से अपनी सामान्य योजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियों की भाँति निर्गत किये जाने की व्यवस्था की गई है । चूँकि वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत की जा रही हैं, अतः ऐसी स्थिति में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-3-3412/दस-2002-100(39)/88, दिनाँक 24 अक्टूबर, 2002 को संशोधित करते हुये अनुदान संख्या-83 से सम्बन्धित पुनर्विनियोग वित्त विभाग की सहमति से किये जायेंगे ।

(7) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-19/2016/बी-2-1274/दस-2016-एम-46/2016, दिनाँक 29 अगस्त, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जाय ।

(8) प्रशासकीय विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं इन्हें दृष्टिगत रखते हुये वित्तीय स्वीकृतियों सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध कराये जायें । इस सम्बन्ध में अनुत्पादक व्यय में कमी करने तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में पृथक से आदेश शीघ्र ही निर्गत किये जायेंगे ।

3- वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित अन्य दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में उल्लिखित शासनादेश दिनाँक 30 मार्च, 2018 एवं 24 अप्रैल, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

भवदीय,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या : 16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।**
2 **महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।**
3 **प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।**
4 **प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।**
5 **वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।**
6 **सचिवालय के समस्त अनुभाग ।**
7 **समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।**
8 **निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।**
9 **निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।**
10 **निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।**
11 **समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।**
12 **समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।**
13 **गार्ड फाइल ।**

आज्ञा से,

राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव, वित्त ।

ht p://sh sanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।